सं० ओ०वि०/एफ०डी०/183-86/48531.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) अटलांटिक इन्जिनियरिंग सर्विस, प्रा० लि०, 19 कि.मि. मथुरा रोड डा० अमर नगर, फरीदाबाद, (2) श्री एस. सी. मित्तल, आफिसियल लिक्वडेटर भारत सिक्योटस एण्ड गाईड बिल्डिंग, 19 रिंग रोड आई.पी., इस्टेट, नई दिल्ली के श्रमिक श्री रामा शीष पाल मार्फत श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, 50 नीलम चौक फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री रामा शीष पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/183-86/48539.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० (1)अटलांकि इन्जिनियरिंग सर्विस, प्रा० लि०, 19 कि.मि. मथुरा रोड़, डा० अमर नगर, फरीदाबाद, (2) श्री एस.सी. मित्तल, आफिसियल लिक्वडेटर भारत सिक्योटस एण्ड गाईड बिल्डिंग, 19 रिंग रोड आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली के श्रमिक श्री राम नाथ यादव मार्फत श्री श्याम सुन्दर गुप्ता 50 नीलम चौक फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री राम नाथ यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/183-86/48547.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) अटलांटिक इन्जिनियरिंग सर्विस प्रा. लि., 19 कि. मि. मथुरा रोड, डा. अमर नगर, फरीदाबाद, (2) श्री एस. सी. मित्तल, अफिसियल लिक्वेडेटर भारत सिक्योटस एण्ड गाईड बिल्डिंग 19, रिंग रोड़, आई. पी. इस्टेट नई दिल्ली, के श्रमिक श्री मन्ना लाल मार्फत श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, 50 नीलम चौक, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मन्ना लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/183-86/48555.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) अटलांटिक इन्जिनियरिंग सर्विस प्रा० लि०, 19, कि. मि. मथुरा रोड़, डा० अमर नगर, फरीदाबाद, (2) श्री एस. सी. मित्तल, अफिसियल लिक्वडेटर भारत सिक्योटस एण्ड गाईड बिल्डिंग 18, रिंग रोड़, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली, के श्रमिक श्री सर्वदेव यादव मार्फत श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, 50 नीलम चौक फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है , न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्री सर्वदेव यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?